न्यायालयः—सदस्य,पच्चीसवें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधि. भोपाल
(समक्षः—प्रहलाद सिंह कैमेथिया)

**Registration No. 1353/2024**
**Filling No.1964/2024**
**CNR No. MP0401-010099-2024**
**Filling Date.13-03-2024**

01— खुमान सिंह पिता स्व.हल्का बंसकार, आयु लगभग 56 वर्ष, **(मृतक का पिता)**

02— श्रीमती रामवती बाई पत्नी श्री खुमान सिंह, आयु लगभग 54 वर्ष, **(मृतक की माता)**

03— द्रोपती बाई पुत्री श्री खुमान सिंह, आयु लगभग 24 वर्ष, **(मृतक की बहन)**

04— कु. रागनी पुत्र श्री मुकेश बंसकार, आयु 13 वर्ष, **(मृतक की भांजी)**

05— मा. प्रशांत पुत्र श्री मुकेश वंसकार, आयु 09 वर्ष, **(मृतक का भांजा)**

आवेदक कमांक 04 व 05 नाबालिग द्वारा संरक्षक नाना खुमान सिंह पिता स्व. हल्का बंसकार, सभी निवासी—ग्राम कैलकच्छ पोस्ट बागपिपरिया तहसील बरेली जिला रायसेन(म.प्र.)

——**आवेदकगण**

—**विरूद्ध**—

01— राजू सपकडे आ. श्री चिंतामन सपकडे, आयु वयस्क, निवासी—एमआईजी 11 दीप हाउस खजूरीकलां जिला भोपाल (म.प्र.)
**(कैश वाहन कमांक एम.पी.09 जीएच 6081 का चालक)**

02— मै. भवानी इंटरप्राईजेस द्वारा अरूण के श्रीवास्तव पता एससीएच नं. 94 रिंग रोड सेक्टर ई मयूर अस्पताल के सामने जिला इंदौर (म.प्र.)
**(कैश वाहन कमांक एम.पी.09 जीएच 6081 का स्वामी)**

19/11/2025
(प्रहलाद सिंह कैमेथिया)
सदस्य
पच्चीसवें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

03— टाटा एमआईजी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा मंडल प्रबंधक कार्यालय द्वितीय तल पलाट नंबर 15ए मालवीय नगर राज भवन रोड भोपाल (म.प्र.) ——अनावेदकगण
बीमा पालिसी नं—63017857040000
बीमा वैधता—23.12.2023 से 22.12.2024 तक
**(कैश वाहन कमांक एम.पी.09 जीएच 6081 की बीमा कम्पनी)**

---

आवेदक द्वारा — श्री रणधीर सिंह, अधिवक्ता।
अनावेदक कं. 01 द्वारा — श्री रामानुज पाराशर, अधिवक्ता।
अनावेदक क. 02 — पूर्व से एक पक्षीय।
अनावेदक कमांक 03 द्वारा— श्री अजय कुमार पाण्डे, अधिवक्ता।

---

**—:: अधिनिर्णय ::—**
**(आज दिनांक 19/11/2025 को घोषित)**

**01.** आवेदकगण द्वारा यह आवेदन दिनांक 24.01.2024 को पुलिस थाना बरेली जिला रायसेन के अंतर्गत एन.एच.45 गुरारिया जोड के पास बरेली में अनावेदक कमांक 02 के स्वामित्व का वाहन कैश कार कमांक एम.पी.09 जीएच 6081 को अनावेदक कमांक 01 के द्वारा तेजी, उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाने से हुई दुर्घटना में मृतक स्व. श्री अभिषेक बंसकार को आई चोटों के कारण मृत्यु हो जाने से प्रतिकर राशि 60,00,000/— रूपये प्राप्त करने के लिये अनावेदकगण के विरूद्ध यह आवेदन पत्र मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत पेश किया है।

**02.** अनावेदक कमांक 01 दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का चालक, अनावेदक कमांक 02 दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का स्वामी एवं अनावेदक कमांक 03 दुर्घटना कारित करने वाले वाहन की बीमा कम्पनी होना निर्विादित है।

**03.** आवेदकगण का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 24.01.2024 को समय शाम के करीब 16:35 बजे मृतक मोटरसाईकिल द्वारा साहू

19/11/2025
(प्रहलाद सिंह कैमेथिया)
सदस्य
पच्चीसवें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

गार्डन से बरेली तरफ सही दिशा व सीमित गति से जा रहा था कि वह एनएच 45 गुरारिया जोड के पास बरेली पहुंचा था कि तभी सामने से आ रहे कैश वाहन कमांक एम.पी.09 जी एच 6081 का चालक अनावेदक कमांक 01 अपने वाहन को बहुत तेजी, लापरवाही व उपेक्षापूर्वक चलाते हुये लाया और उसकी मोटरसाईकिल में साईड से जोरदार टक्कर मार दी जिससे वह मोटसाईकिल के साथ सड़क पर गिर और गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी दुर्घटनास्थल पर ही दर्दनाक अकाल मृत्यु हो गई तथा उसका पोस्टमार्टम शासकीय बरेली अस्पताल में किया गया। दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना बरेली जिला भोपाल म.प्र. में अपराध कमांक 55/2024 धारा 304ए भा.द.सं. दर्ज कर विवेचना उपरांत अनावेदक कमांक 01 के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

**04.** आवेदन पत्र अनुसार दुर्घटना के पूर्व मृतक हष्ट पुष्ट, स्वस्थ्य व होनहार युवक था एवं श्रीपाल इंडस्ट्री सतलापुर में प्रायवेट नौकरी कर 12,000/- रूपये प्रतिमाह आय प्राप्त करता था जिससे वह अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कराता था, वह आवेदकगण के भविष्य का सहारा था वह भविष्य में उनको और सुख सुविधाएं उपलब्ध कराता, बुढापे का सहारा बनता, वंश बढाता परन्तु मृतक की असमय अकाल मृत्यु हो जाने से आवेदकगण का जीवन अनिश्चित व अंधकारमय हो गया है। आवेदकगण कमांक 01 व 02 पुत्र के न रहने से अपने बुढापे के सहारे से, आवेदिका कमांक 03 अपने भाई के स्नेह व मार्गदर्शन व आवेदक कमांक 4 व 5 मृतक के भांजा भांजी जिसके माता पिता का पूर्व में देहांत हो गया है वह अपने मृतक मामा पर ही निर्भर थे, जो उनके लाड प्यार सहयोग व सहारे से हमेशा के लिये वंचित हो गये जिसके कारण आवेदकगण को अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि 60,00,000/- रूपये 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से दुर्घटना दिनांक से वसूली दिनांक तक संयुक्ततः एवं पृथक-पृथक रूप से दिलायी जावे।

**05.** अनावेदक कमांक 02 के विरूद्ध दिनांक 06.09.2024 को एकपक्षीय

19/11/2024
(प्रहलाद सिंह कैमेथिया)
सदस्य
प्रभारी अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

कार्यवाही की गई और उसकी ओर से आवेदकगण के प्रस्तुत आवेदन के उत्तर का अभाव रहा है।

**06.** अनावेदक कमांक 03 बीमा कंपनी की ओर से आवेदकगण के आवेदन पत्र के समस्त प्रतिकूल अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए प्रारंभिक आपत्ति में यह अभिकथित किया गया है कि दुर्घटना दिनांक 24.01.2024 को अनावेदक कमांक 01 वाहन कैश कमांक एम.पी.09 जीएच 6081 को उतावलेपूर्वक एवं लापरवाही पूर्वक चला रहा था और अनावेदक कमांक 01 के पास उक्त वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी लायसेंस नहीं था एवं उक्त वाहन का उपयोग बगैर वैध एवं प्रभावी परमिट, फिटनेस के किया जा रहा था। इस कारण मोटरयान अधिनियम एवं बीमा पालिसी की शर्तो का उल्लंघन हुआ है जिस कारण अनोवदक कमांक 03 बीमा कम्पनी आवेदकगण को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति अदायगी हेतु दायित्वाधीन नहीं है।

**07.** अनावेदक कमांक 03 बीमा कंपनी की ओर से आवेदकगण द्वारा अपने क्षतिपूर्ति दावा आवेदन के साथ म.प्र. मोटरयान नियम 1994 की धारा 220(3) के अनुसार उपधारा (1)(2)(3) में दर्शाये अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है न ही 220(4) के अनुसार अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है कि किस कारण वश दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है तथा न ही भविष्य में दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अधिकरण द्वारा कोई अनुमति प्रदान की गई है इस कारण आवेदकगण भविष्य में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो वह अभिलेख पर न लिये जाये। प्रकरण के विचारण के दौरान अनावेदक कमांक 01 एवं 02 वाहन चालक व मालिक अनुपस्थित रहते है या एक पक्षीय हो जाते है या आवेदकगण से दुरभिसंधि कर लेते है तो मोटरयान अधिनियम की धारा 170 के अंतर्गत अनावेदक कमांक 03 को संपूर्ण बिन्दुओं पर बचाव प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। अतः अनावेदक कमांक 03 के विरूद्ध आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

**08.** उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर मेरे द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्नों की विरचना की गई है जिनका निष्कर्ष उनके सम्मुख दर्शाये गये अनुसार

19/11/2025

(प्रहलाद सिंह कौमेश्रिया)
सदस्य
पच्चीसवें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

निम्नानुसार है:–

| क्रं. | वादप्रश्न | निष्कर्ष |
|---|---|---|
| 1 | क्या दिनांक 24.01.2024 को समय सुबह 16:5 बजे स्थान एन.एच 45 गुरारिया जोड के पास बरेली थाना बरेली जिला रायसेन म.प्र. सीमान्तर्गत वाहन कमांक एम.पी.09 जीएच 6081 को अनावेदक कमांक 01 राजू सपकडे द्वारा उपेक्षा एवं लापरवाहीपूर्वक तेज गति से चलाकर मृतक अभिषेक बंसकार को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की ? | ''प्रमाणित'' |
| 2 | क्या दुर्घटना दिनांक को वाहन कमांक एम.पी.09 जीएच 6081 के चालक द्वारा उक्त वाहन को बीमा की शर्तों के उल्लंघन में लोकमार्ग पर चलाये जा रहा था ? | **''प्रमाणित नहीं''** |
| 3 | क्या आवेदकगण प्रतिकर राशि प्राप्त करने के अधिकारी है, यदि हाँ तो किससे और कितनी ? | **अधिनिर्णय की कंडिका ''40'' से ''41'' के अनुसार** |
| 4 | सहायता एवं व्यय ? | **अधिनिर्णय की कंडिका ''42'' के अनुसार** |

**–:: सकारण निष्कर्ष ::–**

**वादप्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 के संबंध में निष्कर्ष**

**09.** आवेदक **द्रोपती (आ.सा.01)** ने अपने पक्ष समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी.01, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02, अपराध विवरण फार्म प्र.पी.03, मैकेनिकल रिपोर्ट प्र.पी.04, सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी.05, कथन प्र.पी. 06, धारा 41 का नोटिस प्र.पी.07, धारा 174 का नोटिस प्र.पी.08, शव परीक्षण आवेदन व रिपोर्ट प्र.पी.09 पेश की गई हैं।

**10.** **द्रोपती (आ.सा.01) ने परिसाक्ष्य दी है कि** घटना दिनांक 24.01.2024 को समय लगभग शाम के 05:00 बजे उसका भाई साहू गार्डन से बरेली मोटरसाईकिल से जा रहा था कि जैसे ही उसके भाई की मोटरसाईकिल गुरारिया जोड के पास पहुंची तभी एक कैश वाहन का चालक वाहन को तेजी व

19/11/2024

(प्रहलाद सिंह भदौरिया)

सदस्य

पन्द्रहवें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

भोपाल (म.प्र.)

लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उसके सामने से रांग साईड से आकर उसके भाई की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे उसका भाई मोटरसाईकिल सहित सड़क पर गिर गया और घटनास्थल से उसके भाई को अस्पताल के वाहन से सिविल अस्पताल बरेली ले गये थे वहां डॉक्टरों द्वारा उसके भाई को मृत घ ोषित कर दिया गया एवं दुर्घटना के संबंध में कोई प्रकरण संबंधी कार्यवाही उसकी उपस्थिति में पुलिस नहीं की है।

11. **मुकेश अहिरवार (आ.सा.02) ने परिसाक्ष्य दी है कि** घटना दिनांक 24.01.2024 को समय लगभग शाम के 05 बजे वह अपनी मोटरसाईकिल से साहू गार्डन से बरेली जा रहा था कि उसके आगे मोटरसाईकिल से अभिषेक जा रहा था कि जैसे ही अभिषेक की मोटरसाईकिल गुरारिया जोड के पास पहुंची तभी एक कैश वाहन जिसका नंबर एम.पी.09 जीएच 6081 का चालक वाहन को तेजी से चलाकर लाया और उसके आगे चल रही अभिषेक की मोटरसाईकिल में रांग साईड से जाकर टक्कर मार दी जिससे अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया और वह घ टनास्थल से अस्पताल की गाडी से अभिषेक को शासकीय अस्पताल बरेली लेकर गया जहां पर डाक्टरों द्वारा अभिषेक को मृत घोषित कर दिया गया।

12. प्रतिपरीक्षण में साक्षी स्वीकार करता है कि वह मृतक अभिषेक को पहले से जानता है वह और खुमान वंशकार मृतक अभिषेक एक ही गांव के हैं उसका एवं खुमान वंशकार का घर लगभग डेढ सौ मीटर की दूरी पर है। यह स्वीकार करता है कि दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके द्वारा दर्ज नहीं करायी गई है साक्षी ने फिर कहा कि रिपोर्ट उसके द्वारा दर्ज करायी गई है। यह स्वीकार करता है कि उसके पुलिस कथन प्रकरण में पेश नहीं है साक्षी स्वतः में कहता है कि प्र.पी.02 एवं प्र.पी.03 एवं एवं प्र.पी.01 में उसका नाम लिखा हुआ है।

13. प्रतिपरीक्षण में साक्षी बताता है कि दुर्घटना दिनांक को अपनी मोटरसाईकिल से बरेली जा रहा था उसकी मोटरसाईकिल का नंबर एम.पी.04 जीए 6929 था वह मृतक अभिषेक की मोटरसाईकिल का नंबर नहीं बता सकता है।

19/11/2025
(प्रहलाद सिंह कैमेथिया)
सदस्य
पच्चीसवें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

मोटरसाईकिल पर अभिषेक अकेला था और वह उससे 15–20 फिट दूरी पर आगे चल रहा था और जिस स्थान पर टक्कर हुई वह गुरारिया जोड है और उसके आसपास खेत है। साक्षी यह स्वीकार करता है कि अभिषेक के वाहन एवं दुर्घटना कारित वाहन की आमने सामने बहुत जोरदार टक्कर हुई थी और जिस वाहन ने टक्कर मारी थी भाग गया था फिर स्वतः में कहता है कि वह घटनास्थल पर खड़ा रहा और वह चलने योग्य ही नहीं था। उक्त वाहन में तीन लोग बैठे थे, उक्त वाहन में क्या भरा हुआ था वह नहीं बता सकता है। दुर्घटनास्थल पर पुलिस 10 मिनिट के अंदर आ गई थी एवं 108 एम्बूलेंस भी आ गई थी। यह स्वीकार करता है कि उसने एम्बूलेंस चालक को घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर नहीं बताया था। मृतक को चोट सिर में लगी थी इस बात को गलत बताता है कि सिर पर चोट इसलिये लगी थी वह हेलमेंट नहीं पहने था स्वतः में कहा कि टककर लगने पर हेलमेट टूट कर गिर गया था। साक्षी इस बात से अनभिज्ञता प्रकट करता है कि वह यह नहीं बता सकता है कि दुर्घटना के बाद अभिषेक घटनास्थल पर खतम हुआ था या नहीं। स्वतः में कहता है कि जब वह अभिषेक को लेकर अस्पताल गया था तब वह खतम हो गया था।

**14.** प्रतिपरीक्षण में साक्षी स्वीकार करता है कि शासकीय अस्पताल बरेली के किसी चिकित्सक को उसने दुर्घटना करने वाले वाहन का नंबर नहीं बताया था स्वतः में कहा कि अभिषेक बरेली अस्पताल में खतम हो गया था उसके बाद वह एफआईआर कराने आया था यह स्वीकार करता है कि दुर्घटना करने वाले वाहन में क्या–क्या लिखा था वह नहीं बता सकता है वह यह भी नहीं बता सकता है कि वाहन किस कंपनी का था। साक्षी ने स्वतः कहा कि उसने वाहन का नंबर देखा था जो एम.पी.09 जीएच 6081 था। यह भी स्वीकार करता है कि उक्त नंबर प्लेट सफेद रंग की थी। साक्षी यह स्वीकार करता ळै कि मृतक अभिषेक की मोटरसाईकिल झटके ले रही थी उसे बनवाने हेतु जा रहे थे उसे बरेली के मैकेनिक के यहां ठीक कराने ले जा रहा था। इस बात को गलत

19/11/2025
(प्रहलाद सिंह कैमेथिया)
सदस्य
पञ्चमतम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

बताता है कि अभिषेक की मोटरसाईकिल चलते चलते झटके लेने के कारण वह स्वयं फिसलकर गिर गया था जिस कारण दुर्घटना कारित हुई है। यह भी स्वीकार करता है कि दुर्घटना किस किस व्यक्ति ने देखी है वह नहीं बता सकता है।

**15.** इस प्रकार आवेदक साक्ष्य पर विचार किये जाने के पूर्व यहां विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धांतों का उल्लेख करना आवश्यक है जिनमें न्यायदृष्टांत **विमला देवी एवं अन्य विरूद्ध हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एवं अन्य 2009 ए. सी.जे. 1723 सुप्रीम कोर्ट** वाले मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि मोटर दावा प्रकरणों में दुर्घटना को केवल संभाव्यता की सफलता की सीमा तक ही प्रमाणित करना चाहिए, युक्तियुक्त संदेह से परे नहीं। न्यायदृष्टांत **तुलसीराम विरूद्ध मानसिंह 1996 (2) एम.पी.डब्ल्यू.एल 144** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत वस्तुतः लागू नहीं होते है। न्याय दृष्टांत **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध पुष्पा राणा एवं अन्य 2009 ए.सी.जे. 287** के अनुसार आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज इस बात के प्रमाण है कि चालक द्वारा उपेक्षा बरती गई और इसी तरह न्याय दृष्टांत **भापूबाई एवं अन्य विरूद्ध अंतर सिंह एवं अन्य 2006 एसीजे 2556 एम0पी0** के अनुसार जहां खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत न हो वहां दुर्घटना का तथ्य प्रमाणित माना जायेगा और न्यायदृष्टांत **अनिल तिवारी बनाम साहबसिंह ए.सी.जे. 2001 एमपी 471 एवं हीरालाल व अन्य बनाम लक्ष्मण प्रसाद 2006 ए.सी.जे. 1019 म.प्र.** वाले मामले में प्रतिपादित विधि अनुसार अभिलेख पर उपलब्ध मामले की दुर्घटना से संबंधित संस्थित आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य किये जा सकते हैं।

**16.** मामले की दुर्घटना से संबंधित फरियादी मुकेश कुमार चौधरी ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करायी कि वह दिनांक 24.01.2024 को अपने परिवार को साथ लेकर तेरहवी कार्यक्रम में साहू गार्डन बरेली आया था कि उनके गांव का अभिषेक वंशकार भी तेरहवी कार्यक्रम में साहू गार्डन बरेली आया

19/11/2025
(प्रहलाद सिंह कैमेथिया)
सदस्य
पच्चीसवें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

था कार्यकम समाप्त होन के बाद अभिषेक की गाडी में कुछ खराबी आने के कारण अभिषेक गाडी सुधरवाने गार्डन से बरेली तरफ जा रहा था और वह भी अपनी गाडी से उसके पीछे–पीछे अपनी मोटरसाईकिल से बरेली आ रहा था कि शाम करीब 04:35 बजे गुरारिया जोड़ के पास जैसे ही अभिषेक अपनी मोटरसाईकिल कमांक एम.पी.49बीए 8779 को बरेली तरफ मोड़ रहा था कि **सामने से आ रही केस वाहन कमांक एम.पी.09 जीएच 6081 जबलपुर तरफ से भोपाल की और आते समय वाहन चालक ने तेज गति एवं लापरवाहीपर्वूक चलाकर अभिषेक की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी** जिससे वह रोड पर गिया गया और उसे गंभीर चोटें आई, रहागीरों की मदद से अभिषेक को एम्बूलेंस बुलाकर सरकारी अस्पताल बरेली भिजवाया तो डॉक्टर द्वारा चेक कर मृत होना बताया, अभिषेक की मोटरसाईकिल एवं **कैश वाहन कमांक एम.पी.09 जीएच 6081 गुरारिया जोड़ के पास है,** अभिषेक की मृत्यु एक्सीडेंट में आई चोटों के कारण हुई है घटना उसके अलावा अन्य आने–जाने वाले लोगों द्वारा देखी है रिपोर्ट करता हूं, कार्यवाही की जावें। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर वाहन चालक राजू सपकडे के विरुद्ध थाना बरेली जिला रायसेन में अपराध कमांक 55/2024 धारा 304ए भा.द.सं की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

17. विवेचना उपरांत चालक के विरूद्ध अपराध कमांक 55/2024 अंतर्गत धारा 304ए का पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया और प्रकरण की विवेचना के दौरान प्रदर्श पी 01 का अभियोग पत्र कथित कैश वाहन कमांक एम.पी.09 जीएच 6081 के चालक अनावेदक कमांक 01 के विरूद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बरेली जिला रायसेन के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

18. अब इस संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार किया जाये तो आवेदिका द्रोपती (आ.सा.01) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना उसने अपनी आंखों से नहीं देखी है स्वतः में कहती है कि वह उस समय अपने घर पर थी। इस प्रकार उक्त साक्षिया

19/11/2024
(प्रहलाद सिंह कैमेथिया)
सदस्य
क्लेम्स अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

दुर्घटना की चक्षुदर्शी साक्षिया नहीं है।

**19.** घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी **मुकेश अहिरवार (आ.सा.02)** ने अपने कथनों में यह स्पष्ट कहा है कि दिनांक 24.01.2024 को शाम के लगभग 05 बजे वह अपनी मोटरसाईकिल से साहू गार्डन से बरेली जा रहा था और उसके आगे अभिषेक मोटरसाईकिल से जा रहा था कि कि जैसे ही अभिषेक की मोटरसाईकिल गुरारिया जोड के पास पहुंची तभी **एक कैश वाहन कमांक एम.पी.09 जीएच 6081 का चालक वाहन को तेजी से चलाकर लाया और उसके आगे चल रही अभिषेक की मोटरसाईकिल में रांग साईड से जाकर टक्कर मार दी** जिससे अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया और वह घटनास्थल से अस्पताल की गाडी से अभिषेक को शासकीय अस्पताल बरेली लेकर गया जहां पर डाक्टरों द्वारा अभिषेक को मृत घोषित कर दिया।
घटना उसने व आने जाने वाले लोगों ने देखी है।

**20.** अनावेदक कमांक 03 बीमा कम्पनी की ओर से अंतिम तर्क के दौरान इस बात पर अधिक बल दिया है कि प्रकरण में प्रत्यक्ष दर्शी आवेदक साक्षी मुकेश अहिरवार ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया हे कि दुर्घटना कारित वाहन एवं अभिषेक के वाहन के आमने–सामने जोरदार टक्कर हुई थी और इस बात को स्वीकार किया है कि मृतक अभिषेक की मोटरसायकल झटके ले रही थी उसे वह बरेली के मैकेनिक के यहां ठीक कराने ले जा रहा था और इस कारण उक्त दुर्घटना मृतक की स्वयं की लापरवाही के कारण घटित हुई है और उक्त दुर्घटना में मृतक की लापरवाही होने से मृतक की भी संयुक्तदाई उपेक्षा रही है और इस संबंध में न्यायदृष्टांत राजरानी व अन्य विरूद्ध ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सिविल अपील कमांक 3317–3318/2009 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.05.2009 के तथ्य एवं परिस्थितियों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। इसके विपरीत आवेदकगण की ओर से तर्क के दौरान इस बात पर बल दिया है कि दुर्घटना अनावेदक क्र01 के द्वारा वाहन को

(प्रहलाद सिंह कौशिया)
सदस्य
पन्द्रहवें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

उपेक्षा एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मृतक की मोटरसायकल में टक्कर मारने के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य हैं और उक्त दुघर्टना अनावेदक क्र01 की लापरवाही के कारण हुई है।

**21.** उभयपक्ष की ओर से दिये गये तर्कों पर यदि विचार किया जाये तो यह सही है कि प्रत्यक्षदर्शी आवेदक साक्षी मुकेश अहिरवार ने अपने प्रतिपरीक्षण में दुर्घटना आमने सामने और जोरदार होने के संबंध में स्वीकारोक्ति दी है और यह भी स्वीकारोक्ति दी है कि अभिषेक की मोटरसायकल चलते चलते झटके ले रही थी लेकिन उससे मृतक के स्वयं की लापरवाही रही है इस संबंध में अभिलेख पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं रही है और घटनास्थल के नक्शामौका प्रदर्श पी–03 के अनुसार दुर्घटना सडक के बीचोबीच घटी या मृतक गलत दिशा में जा रहा था, यह स्पष्टीकृत नहीं है और न ही घटनास्थल को आवेदक साक्षी से प्रतिपरीक्षण में प्रश्नगत किया है तब उक्त दुर्घटना में मृतक की भी संयुक्त उपेक्षा रही है ऐसा भलीभांति रूप से प्रमाणित नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी की ओर से दिये गये उपरोक्त तर्क का लाभ एवं प्रस्तुत न्यायदृष्टांत के तथ्य एवं परिस्थितियां हस्तगत प्रकरण से मेल नहीं खाने के कारण बीमा कंपनी को उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है।

**22.** इसके अतिरिक्त अनावेदक कमांक 01 व 02 द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं किया गया है और मामले की दुर्घटना से संबंधित संस्थित आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज प्रदर्श पी 01 लगायत प्रदर्श पी 09 का खण्डन भी अनावेदकगण की ओर से नहीं किया गया है तब न्याय दृष्टांत **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध पुष्पा राणा एवं अन्य 2009 ए.सी.जे. 287** के अनुसार प्रदर्श पी 01 लगायत 09 के दस्तावेज इस बात के प्रमाण है कि चालक द्वारा उपेक्षा बरती गई। इसी तरह न्याय दृष्टांत **अनिल तिवारी बनाम साहबसिंह ए.सी.जे. 2001 एमपी 471 एवं हीरालाल व अन्य बनाम लक्ष्मण प्रसाद 2006 ए.सी.जे. 1019 म.प्र.** वाले मामले में प्रतिपादित विधि अनुसार अभिलेख पर

19/11/2025
(प्रहलाद सिंह कौमेधिया)
सदस्य
क्लेम्स अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

उपलब्ध उपरोक्त सभी दस्तावेज प्रदर्श पी 01 लगायत प्रदर्श पी 09 को साक्ष्य में ग्राह्य किया जा सकता है।

**23.** अनावेदक कमांक 01 जो प्रश्नगत दुर्घटना कारित वाहन का चालक रहा है उसने घटना के कारणों पर प्रकाश डालने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है अर्थात उसने अधिकरण के समक्ष शपथ पर कथन करने का साहस तक नहीं किया है तब न्याय दृष्टांत **इंदरसिंह विरूद्ध हरियाणा राज्य द्वारा कलेक्टर 1987 ए. सी.जे. 94, म0प्र0 ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वि0 वैजयन्ती व अन्य 1995 ए.सी.जे. 580** में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक के कथनों के अभाव में वाहन चालक के विरूद्ध प्रतिकूल उपधारणा की गई है। उक्त स्थिति में इस मामले में भी अनावेदक वाहन चालक के विरूद्ध उपधारणा की जा सकती है।

**24.** इस प्रकार आवेदक पक्ष के द्वारा दुर्घटना के संबंध में अपने मुख्य परीक्षण में बतलाए गए तथ्यों की खण्डनकारी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है और अनावेदक कमांक 01 ने भी अधिकरण के समक्ष शपथ पर कथन करने का साहस नहीं किया गया और शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.09 के अनुसार मृतक की मृत्यु एक्सीडेंट में आयी चोटों के कारण दिनांक 24.01.2024 को होना बताया है और घटना की रिपोर्ट भी घटना के तुरंत पश्चात् लेख करायी गई है जिसमें दुर्घटना अंतर्ग्रस्त वाहन के द्वारा मृतक की मोटरसायकल में टक्कर मारने का स्पष्ट उल्लेख है और घटना दिनांक के तत्काल पश्चात दिनांक 28.01.2024 को अनावेदक क01 से जप्ती में लिया गया है जिससे प्रत्यक्षदर्शी आवेदक साक्षी मुकेश अहिरवार के कथनों की विश्वसनीयता और बढ जाती है।

**25.** अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार यह स्थापित होता है कि दिनांक 24. 01.2024 को समय सुबह 16:5 बजे स्थान एन.एच.45 गुरारिया जोड़ के पास बरेली थाना बरेली जिला रायसेन म.प्र. सीमान्तर्गत वाहन कमांक एम.पी.09 जीएच 6081 को अनावेदक कमांक 01 राजू सपकडे द्वारा उपेक्षा एवं लापरवाहीपूर्वक तेज गति से चलाकर मृतक अभिषेक बंसकार को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित होने

19/11/2025
(प्रहलाद सिंह कौशिया)
सदस्य
पचीसवें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

की संभावनाओं की बाहुल्यता आवेदकगण के पक्ष में ही पायी जाती है। **अतः वादप्रश्न कमांक 01 का निराकरण सकारात्मक ''प्रमाणित'' के रूप में किया जाता है।**

**–:: वाद प्रश्न कमांक 02 ::–**

**26.** अनावेदक कमांक 03 की ओर से अपने वादोत्तर में यह आपत्ति ली गई है कि घटना दिनांक को कथित वाहन अनावेदक कमांक 01 के द्वारा बीमा पालिसी की शर्तो के उल्लंघन में चलाया जा रहा था और उक्त वाद विषय को प्रमाणित करने का भार अनावेदक कमांक 03 बीमा कम्पनी पर है किंतु बीमा कम्पनी की ओर से इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि कथित वाहन बीमा पालिसी की शर्तो के उल्लंघन में चलाया जा रहा था और प्रदर्श पी 05 के जब्ती पत्रक अनुसार दुर्घटना अंतर्ग्रस्त वाहन कमांक एम.पी.09 जीएच 6081 के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, बीमा पॉलिसी, पीयूसी प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां जब्त किया जाना लेख है तब ऐसी स्थिति में यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि कथित दुर्घटना दिनांक को अनावेदक कमांक 01 के द्वारा प्रश्नगत वाहन कमांक एम.पी.09 जीएच 6081 को बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था। **तदनुसार वाद प्रश्न कमांक 02 का निराकरण ''प्रमाणित नहीं'' के रूप में किया जाता है।**

**–:: वाद प्रश्न कमांक 03 ::–**

**27.** उक्त वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार आवेदकगण पर है और उक्त आवेदकगण को दुर्घटना में मृतक व्यक्ति के संबंध में क्षतिधन प्राप्त करने के लिये मृतक की उम्र, आय तथा मृतक पर आश्रितों की संख्या को सिद्ध करना होता है।

**28.** इस संबंध में विचार किया जावे तो आवेदिका द्रोपती आ.सा.01 ने

19/11/2025
(प्रहलाद सिंह कौमेथिया)
सदस्य
पच्चीसवें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

अपने कथन एवं दावा याचिका में मृतक स्व. श्री अभिषेक की आयु 20 वर्ष होना कथित किया गया है। मृतक स्व. श्री अभिषेक के शव परीक्षण आवेदन व रिपोर्ट प्रदर्श पी 09 में मृतक की आयु 22 वर्ष होना लेख है जिसके अनुसार मृतक अभिषेक वंसकार की आयु घटना दिनांक 24.01.2024 को लगभग 22 वर्ष की होती है। अतः **उपरोक्त सभी तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मृतक अभिषेक वंसकार को 21 से 25 वर्ष की आयु के प्रवर्ग के मध्य का होना मान्य किया जाकर 18 का गुणांक किया जाना उचित है।**

**29.** जहां तक मृतक की आय का प्रश्न है इस संबंध में आवेदिका द्रोपती द्वारा अपने कथन में यह बताया है कि दुर्घटना के पूर्व उसका भाई श्रीपाल इण्डस्ट्रीज में कार्य कर प्रतिमाह 15,000/-रूपये आय प्राप्त करता था एवं जिससे उनके परिवार का भरण पोषण होता था। प्रतिपरीक्षण में साक्षिया इस बात को सही बताती है कि उसका भाई अभिषेक श्रीपाल इण्डस्ट्रीज में कार्य कर वेतन प्राप्त करता था इस में उसके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अर्थात मृतक की आय के संबंध में कोई स्पष्ट दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

**30.** माननीय उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत **लक्ष्मी देवी एवं अन्य विरूद्ध मोहम्मद तबर एवं अन्य 2008 एसीजे 7488** वाले मामले में अभिकथित किया है कि जहां आमदनी के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है वहां आमदनी 36,000/-रूपये वार्षिक मानी जावेगी परंतु उक्त न्याय दृष्टांत 2008 का है। तब वर्तमान परिस्थिति को देखते हुये मृतक की आय 7,000/- रूपये प्रतिमाह मान्य की जाकर प्रतिवर्ष 84,000/- रूपए होना मान्य की जाती है।

**31.** प्रकरण में आवेदक कमांक 01 मृतक के पिता, आवेदिका कमांक 02 मृतक की माता एवं आवेदिका कमांक 03 मृतक की बहन, आवेदिका कमांक 04 मृतक की भांजी व आवेदक कमांक 05 मृतक का भांजा है। **न्यायदृष्टांत सरला वर्मा एवं अन्य विरूद्ध दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एवं अन्य 2009 ए.सी.जे. 1298** के अनुसार पिता को मृतक के आश्रितता की श्रेणी में नहीं रखा गया है और व्यक्तिगत

19/11/2025
(प्रहलाद सिंह कैमेथिया)
सदस्य
पन्द्रहवें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

जीवन निर्वाह खर्च के संबंध में यह बतलाया गया है कि यदि मृतक अविवाहित हो और आश्रितों की संख्या अधिक हो जैसे विधवा माता और न कमाने वाले छोटे भाई–बहन तब आय का 1/3 भाग लेना चाहिये तथा बतलाया गया है कि पिता भाई और बहनों को आश्रित नहीं माना जाता है, जब तक की कोई विपरीत साक्ष्य अभिलेख पर न हो और मृतक के विवाहित होने की स्थिति में आश्रितों की संख्या 4 से 6 होने की दशा में 1/4 भाग, अविवाहित होने की दशा में 1/2 भाग स्वयं पर व्यय किया जाना मान्य किया जाना निर्देशित किया है।

**32.** अतः मामले में आवेदक क्रमांक 01 जो कि मृतक का पिता है जिसे उपरोक्त न्यायदृष्टांत के तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में मृतक पर आश्रित होना मान्य किए जाने योग्य नहीं है और ना ही अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य है जिससे यह मान्य किया जावे कि मृतक का पिता अपने स्वयं का एवं परिवार का भरण–पोषण करने में असक्षम है। अतः आवेदक क्रमांक 01 को मृतक पर आश्रित होना मान्य नहीं किया जा सकता है किन्तु आवेदिका क्रमांक 02 श्रीमती रामवती बाई जो मृतक की मां है उसे मृतक पर आश्रित होना मान्य किया जाता है।

**33.** जहां तक अन्य आवेदक क्रमांक 03 लगायत 05 का मृतक पर आश्रित होने का प्रश्न है। इस संबंध में आवेदक की ओर से **न्यायदृष्टांत मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध नानूराम उर्फ चुहरूराम एवं अन्य 2018 (4) ए.सी.सी.डी 2016 (एस.सी.)** प्रस्तुत कर आवेदक क्रमांक 03 लगायत 05 को मृतक पर आश्रित होना मान्य किया जाकर प्रकरण में मृतक के जीवन निर्वाह हेतु 1/3 भाग का कटोत्रा किये जाने की प्रार्थना की गई।

**34.** इस संबंध में विचार किया जाये तो आवेदिका क्रमांक 04 और 05 मृतक के भांजा–भांजी हैं वह मृतक पर किस प्रकार से आश्रित रहें है इस संबंध में आवेदक की ओर से कोई विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं की है और आवेदक की ओर से प्रस्तुत पूर्वोक्त न्यायदृष्टांत अनुसार अविवाहित बहन को मृतक पर आश्रित होना मान्य किया है लेकिन आवेदिका क्रमांक 02 की शादी नहीं हुई है और वह

19/11/2025
(प्रहलाद सिंह कैमेथिया)
सदस्य
प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

अविवाहित है ऐसा अभिलेख से प्रकट नहीं होता है बल्कि आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दावा या याचिका में आवेदिका कमांक 03 द्रोपदी बाई के आगे उल्लेखित "श्रीमती" शब्द को काटा जाना स्पष्ट दर्शित होता है और वकालतनामा में भी आवेदिका कमांक 03 के नाम उल्लेखित श्रीमती शब्द को काटा गया है। ऐसी स्थिति में आवेदिका कमांक 03 अविवाहित होकर मृतक पर आश्रित रही है। इस संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य नहीं होने से आवेदक की ओर से प्रस्तुत पूर्वोक्त न्यायदृष्टांत के तथ्य एवं परिस्थितियां हस्तगत प्रकरण से मेल नहीं खाने के कारण आवेदिका क03 को मृतक पर आश्रित होना मान्य नहीं किया जा सकता है।

**35.** इस स्थिति में मृतक पर आश्रित व्यक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये **न्यायदृष्टांत सरला वर्मा एवं अन्य विरूद्ध दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एवं अन्य 2009 ए.सी.जे. 1298** का अनुसरण करते हुये यह अभिधारित किया जाना उचित होगा कि मृतक अविवाहित होने से अपनी आमदनी का 1/2 भाग स्वयं पर खर्च करता होगा।

**36.** **माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरूद्ध प्रणय शेट्टी व अन्य स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल) कमांक 25590/2014 में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2017** में पैरा–61 (फअ) में यह ठहराया गया है कि यदि व्यक्ति/मृतक का स्वरोजगार है या वह नियत (फिक्स) वेतन पाता है, की मृत्यु होने की दशा में यदि उसकी आयु मृत्यु के समय 40 वर्ष से कम थी, तो उसकी आय में 40 प्रतिशत की अभिवृद्धि तथा 40 से 50 वर्ष के आयु प्रवर्ग में होने पर 25 प्रतिशत तथा 50 से 60 वर्ष की दशा में 10 प्रतिशत वास्तविक वेतन की वृद्धि की जाना चाहिये।

**37.** इस मामले में मृतक की आयु 21 से 25 वर्ष के मध्य होना मान्य की गई है तथा मृतक की वार्षिक आय **84,000/– रूपए** होना माना गया है, इस स्थिति में मृतक की वार्षिक आय **84,000/–** रूपए में **40 प्रतिशत अर्थात् 33,600/–** की अभिवृद्धि करने पर मृतक की कुल आय **1,17,600/– रूपए**

19/11/2025
(प्रहलाद सिंह कीमेलिया)
सदस्य
पच्चीसवें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

वार्षिक मान्य की जाती है। इस प्रकार मृतक की वार्षिक **आय 1,17,600/– रूपए** में मृतक के स्वयं के व्यय के रूप में की जाने वाली **राशि**

**1/2 भाग अर्थात् 58,800/–** रूपए कम किये जाने पर कुल राशि 58,800/– रूपए की वार्षिक आश्रितता प्राप्त होती है, जिसमें **18** का गुणांक किये जाने पर **58,800 x 18 = 10,58,400/– (दस लाख अट्ठावन हजार चार सौ रूपये)** क्षतिपूर्ति राशि होती है, जो आवेदकगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

**38.** इसके अतिरिक्त न्यायदृष्टांत **इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणव शेठी एवं अन्य विशेष अनुमति याचिका कमांक 255900/14 निर्णय दिनांक 31.10.2017** के प्रकाश में मृतक स्व. अभिषेक वंसकार की मृत्यु दाह संस्कार की मद में 15,000/– रूपए तथा संपदा की हानि की मद में 15,000/– रूपए और सहचर्य की राशि 40,000/– रूपये निर्धारित की गई है। उक्त न्याय दृष्टांत में यह भी अवधारित किया गया है कि प्रत्येक तीन वर्ष में उक्त राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए और उक्त न्याय दृष्टांत में निर्णय दिनांक 31.10.17 को घोषित हुआ था जिसकी अवधि छः वर्ष से अधिक हो चुकी है तब संपदा की हानि के शीर्ष में 20 प्रतिशत की वृद्धी करते हुये 18,000/– रूपये अंतिम संस्कार की मद में 18,000/– रूपये एवं **मृतक की माता को सहचर्य की हानि में 20 प्रतिशत की वृद्धी करते हुये 48,000/–रूपये** निर्धारित की जाती है।

**39.** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **यूनियन इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध सत्येन्द्र कुमार उर्फ सतविन्दर कौर (2021) 11 एससीसी 780** वाले मामले में मृतक के माता–पिता, भाई एवं बच्चों को सहचर्य की हानि के शीर्ष में प्रत्येक को रूपये 40–40 हजार रूपये राशि दिलाया जाना निर्धारित की गई है तब उक्त राशि में 20 प्रतिशत की वृद्धी करते हुये मृतक के पिता व बहन को रूपये 48–48 हजार उक्त शीर्ष में निर्धारित की जाती है। जबकि आवेदक क04 व 05 किसी प्रकार की कोई राशि पाने के पात्र नही हैं।

19/11/2025
(प्रहलाद सिंह कौमेथिया)
सदस्य
पच्चीसवें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

**40.** इस प्रकार प्रकरण में आयी साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त सम्पूर्ण बिन्दुओं पर विचारोपरान्त आवेदकगण को निम्नानुसार क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जाती है:—

| क्र. | प्रतिकर की मद | राशि |
|---|---|---|
| 1 | आश्रितता की हानि | 10,58,400 / — |
| 2 | दाह संस्कार खर्च | 18,000 / — |
| 3 | संपदा की हानि | 18,000 / — |
| 4 | फिलियल कंसोटियम / सहचर्य की हानि आवेदक कमांक 01 लगायत 03 को 48,000—48,000 / — रूपये | 1,44,000 / — |
| 5 | उपचार की मद | शून्य / — |
| | **कुल** | **12,38,400 / —** |

**41.** इस प्रकार आवेदकगण को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में राशि रूपये **12,38,400 / — (बारह लाख अडतीस हजार चार सौ रूपए)** निर्धारित की जाती है जो कि अनावेदक कमांक 01 लगायत 03 से संयुक्ततः अथवा पृथक—पृथक प्राप्त करने के अधिकारी हैं। न्याय दृष्टांत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के एम.ए.नम्बर 1487 / 2001 **ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड विरूद्ध अंक्षास मेहरा** आदेश दिनांक 08.04.2022 के प्रकाश में अधिनिर्णय राशि पर ब्याज दर 06 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है।

**—::वाद प्रश्न कमांक 04 सहायता एवं व्ययः:—**

**42.** अतः प्रस्तुत दावा याचिका **आंशिक रूप से स्वीकार** करते हुये आवेदकगण के पक्ष में तथा अनावेदकगण कमांक 01 लगायत 03 के विरूद्ध निम्नलिखित अधिनिर्णय दिया जाता है:—

**01—** अनावेदकगण कमांक 01 लगायत 03 संयुक्ततः या पृथकतः आवेदकगण को क्षतिपूर्ति राशि **12,38,400 / — (बारह लाख**

19/11/2025
(प्रहलाद सिंह कौशेंधिया)
सदस्य
पच्चीसवें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

**अडतीस हजार चार सौ रूपए)** इस अधिनिर्णय की दिनांक से तीस दिवस के भीतर आवेदक को अदा करें।

**02–** अनावेदकगण संयुक्ततः या पृथकतः अवार्ड राशि **12,38,400/– (बारह लाख अडतीस हजार चार सौ रूपए)** आवेदन पत्र प्रस्तुति दिनांक 13.03.2024 से अदाएगी दिनांक तक छः प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से राशि अदा करेंगे।

**03–** अंतरिम प्रतिकर की राशि अथवा उक्त दुर्घटना के संबंध में अन्य फोरम/बीमा कम्पनी के माध्यम से यदि आवेदकगण द्वारा कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त की गई हो तो वह अवार्ड राशि में से समायोजित की जाए।

**04–** कुल क्षतिपूर्ति राशि में से आवेदक कमांक 01 खुमान सिंह, व आवेदिका कमांक 03 द्रोपती बाई को 48,000–48,000/– रूपये पाने के अधिकारी हैं एवं शेष संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि मृतक की माता आवेदिका कमांक 02 श्रीमती रामवती बाई पाने की अधिकारी हैं।

**05–** आवेदिका कमांक 01 (02) को प्राप्त होने वाली राशि में से 25 प्रतिशत राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखे जाने वाले उसके बचत खाते के माध्यम से नकद प्रदान की जावे एवं शेष 75 प्रतिशत राशि समान रूप से तीन सावधि के रूप में कमशः 3,5,7 वर्ष के लिये उच्चतर बैंक ब्याज दर पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराई जावे जिस पर कोई ऋण भार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होगा।

योगीराज पाण्डेय
सदस्य,
पच्चीसवें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

**06–** आवेदक कमांक 02 (01) व 03 को प्राप्त होने वाली राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखे जाने वाले उनके बचत खाते के माध्यम से नकद प्रदान की जावे।

योगीराज पाण्डेय
सदस्य,
पच्चीसवें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

**07–** अनावेदकगण अपना एवं आवेदकगण का भी वाद व्यय वहन करेंगे।

**08–** अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर **1,500/– रूपये** अथवा प्रमाण पत्र अनुसार, दोनों में से जो भी कम हो नियमानुसार

19/11/2025

(प्रहलाद सिंह कैमेथिया)
सदस्य
पच्चीसवें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

व्यय तालिका में जोड़ा जावे।

**43. तद्नुसार व्यय तालिका बनाई जाये।**

स्थानः— भोपाल
दिनांकः—19/11/2025

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

**(प्रहलाद सिंह कैमेथिया)**
सदस्य,
पच्चीसवें अति.मो.दु.दावा अधि.
भोपाल (म.प्र.)

मेरे निर्देश पर टंकित।

**(प्रहलाद सिंह कैमेथिया)**
सदस्य,
पच्चीसवें अति.मो.दु.दावा अधि.
भोपाल (म.प्र.)